

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय,
कामगार भवन, सी - २०, ई - ब्लॉक,
वांद्रे - कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व),
मुंबई ४०० ०५१
दिनांक:- ०३ .०२.२०१२

क्र.ग्रा.वि./किवेअ/वि.भ./२०१२-१ कार्या-१० किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता विशेष भत्त्याचे दर दिनांक ०१.०१.२०१२ ते ३०.०६.२०१२ या कालावधीकरिता जाहीर करित आहे.

| १ | अनुसूचित उद्योगाचे नांव | परिमंडळ निहाय विशेष भत्त्याचे दर | | | | कालावधी | शेरा |
|----|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| | | परिमंडळ-१ | परिमंडळ-२ | परिमंडळ-३ | परिमंडळ-४ | | |
| | | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | | |
| २ | | ३ | | | | ४ | ५ |
| १ | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना | |
| २ | मोटर दुरुस्ती कार्यशाळा उद्योग | १५४५.६० | १५४५.६० | १५४५.६० | -- | प्रति महिना | |
| ३ | बेकरी उद्योग, | १७३७.७५ | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | प्रति महिना | |
| ४ | कूपस दाबणे व पिजणे उद्योग | १४४९.०० | १४४९.०० | १४४९.०० | -- | प्रति महिना | |
| ५ | कापड रंगविणे, छपाई उद्योग | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | -- | प्रति महिना | |
| ६ | काजू प्रक्रिया उद्योग | १४२१.०० | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरिता | | | प्रति महिना | |
| ७ | कागदी, गवती पुढल्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग | १२६७.२० | १२६७.२० | १२६७.२० | -- | प्रति महिना | |
| ८ | रासायनिक खते बनविणारा उद्योग | १४०८.०० | १४०८.०० | १४०८.०० | -- | प्रति महिना | |
| ९ | कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना | |
| १० | सिमेंट व सिमेंटवर आधारित उद्योग | २५९२.०० | २५९२.०० | २५९२.०० | -- | प्रति महिना | * |
| ११ | रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|--------------------------------|---------|---------|----------------|
| १२ | चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग | १७१०.३१ | १७१०.३१ | १७१०.३१ | १७१०.३१ | प्रति महिना |
| १३ | सायकल यंत्रिक कार्यशाळेतील कामधंदा | १३४४.०० | १३४४.०० | -- | -- | प्रति महिना |
| १४ | दवाखाना उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| १५ | औषधी द्रव्य व औषध बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| १६ | दुग्धालय (खेअरी) उद्योग | १५१८.०० | १५१८.०० | १५१८.०० | -- | प्रति महिना |
| १७ | लिखाणाच्या व्हया बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| १८ | खाण्याचा तंबाखु उद्योग | १४८९.५० | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याकरीता | | | प्रति महिना |
| १९ | अभियांत्रिकी उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| २० | कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ पोट कलम (एम) या व्याखेतील कारखाने | १३४४.०० | १३४४.०० | १३४४.०० | -- | प्रति महिना |
| २१ | शार्डपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग | १८२८.५० | १८२८.५० | -- | -- | प्रति महिना |
| २२ | चित्रपट निर्मिती उद्योग | १५३६.०० | १५३६.०० | -- | -- | प्रति महिना |
| २३ | काच बल्ब बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| २४ | काच उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| २५ | निवासी हॉटेल व उपाहारगृह उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| २६ | केश कर्तनालयाचा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| २७ | रुग्णालय उद्योग | १०८८.१० | १०८८.१० | १०८८.१० | -- | प्रति महिना |
| २८ | बर्फ व शितपेय बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| २९ | मद्य उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ३० | धोबी काम उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ३१ | चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग | १३८२.४० | १३८२.४० | १३८२.४० | -- | प्रति महिना |
| ३२ | तेल गिरणी उद्योग | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | -- | प्रति महिना |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|------|-------------|
| ३३ | कागद व कागदी पुठे बनविणारा उद्योग | १०६९.५० | १०६९.५० | १०६९.५० | -- | प्रति महिना |
| ३४ | प्लास्टिक उद्योग | १३४४.०० | १३४४.०० | १३४४.०० | -- | प्रति महिना |
| ३५ | रंग व वॉनिश बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ३६ | पोहे, चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | -- | प्रति महिना |
| ३७ | यंत्रमाग उद्योग(१८४ पेक्षा जास्त) (१८४ पेक्षा कमी) | ५०७२.०० ३५५०.४० | ५०७२.०० ३५५०.४० | ५०७२.०० ३५५०.४० | -- | प्रति महिना |
| ३८ | मुद्रण उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ३९ | सार्वजनिक मोटर वाहतुक उद्योग | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | -- | प्रति महिना |
| ४० | तयार कपडे बनविणे उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ४१ | रबर उद्योग | १५७६.७५ | १५७६.७५ | १५७६.७५ | -- | प्रति महिना |
| ४२ | भात, पिठ व डाळ गिरणीतील उद्योग | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | -- | प्रति महिना |
| ४३ | रबरी फुगे बनविणारा उद्योग | १७३७.७५ | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | प्रति महिना |
| ४४ | पोलादी सामान बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ४५ | सिष्टी, उद्योग | १७८०.०० | -- | -- | -- | प्रति महिना |
| ४६ | दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग | १६६९.५० | १६६९.५० | -- | -- | प्रति महिना |
| ४७ | सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ४८ | दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग | १००४.४० | १००४.४० | १००४.४० | -- | प्रति महिना |
| ४९ | सफाईगार व मेहतर कामधंदा | १४४९.०० | १४४९.०० | १४४९.०० | -- | प्रति महिना |
| ५० | लाकुड कटाई उद्योग | १३४४.०० | १३४४.०० | १३४४.०० | -- | प्रति महिना |
| ५१ | कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तु तयार करणे | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | ---- | प्रति महिना |
| ५२ | धातुची भांडी बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ५३ | लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |
| ५४ | लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग | २००४.९० | २००४.९० | २००४.९० | -- | प्रति महिना |

| | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|----|-------------|
| ५५ | घडयाळाचे पटटे बनविणारा उद्योग | १७३७.७५ | १७३७.७५ | १७३७.७५ | -- | प्रति महिना |
| ५६ | हातमाग उद्योग | ११७३.०० | ११७३.०० | ११७३.०० | -- | प्रति महिना |
| ५७ | मातीची भांडी बनविणारा उद्योग | १२१४.४० | १२१४.४० | १२१४.४० | -- | प्रति महिना |
| ५८ | वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार | १०२३.०० | १०२३.०० | -- | -- | प्रति महिना |
| ५९ | चांदी उद्योग | १४०८.०० | १४०८.०० | -- | -- | प्रति महिना |
| ६० | तंबाखू (बिडी उद्योग) | ६५.७० | ६५.७० | -- | -- | प्रति दिन |
| ६१ | स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्राम पंचायत) | १४६७.०० | १४६७.०० | १४६७.०० | -- | प्रति महिना |
| ६२ | रंग व रसायने बनविणारा उद्योग | १८२१.६१ | १८२१.६१ | १८२१.६१ | -- | प्रति महिना |
| ६३ | विटा व कौले बनविण्याचा कारखानातील कागधंदा | १२१८.०० | १२१८.०० | -- | -- | प्रति महिना |
| ६४ | म्हशी किंवा गाई किंवा दोन्ही जेथे दुध काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगीक प्रक्रियासाठी देवण्यात येतात अशा कोणत्याही जागेतील ढ्रूमधंदा (तबेला उद्योग) | २१५१.६० | २१५१.६० | २१५१.६० | -- | प्रति महिना |
| ६५ | गिटागारामधील कागधंदा | १३४४.०० | -- | -- | -- | प्रति महिना |

विशेष भत्त्याचे दर परिमडळनिहाय प्रत्येक अनुसूचित उद्योगाकरीता दर्शावण्यात आले आहेत.

- * अ क्र. १० समोरील अनुसूचित उद्योगाचे किमान वेतन दि २५.०४.२००७ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे पुननिर्धारित केलेले होते. तथापि सदर अधिसूचनेस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिटाने याचिका क्र.५१२५/२००७ मध्ये स्थगिती दिलेली असल्याने विशेषभत्त्याचे दर पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेले आहेत.

(प.न.थोरात)
 कामगार उप आयुक्त, (प्रा.वि.)
 व सक्षम प्राधिकारी
 किमान वेतन अधिनियम, १९४८
 मुंबई.